(मैनुअल-14)
कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमः-

केन्द्र द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रोंे में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1999-2000 में चार जनपदों से प्रारम्भ होकर वर्तमान में समस्त जनपदों में किया जा रहा है। अभियान का संचालन जनपद स्तर पर जिला पंचायत के नियन्त्रणाधीन जिला स्वच्छता समिति द्वारा किया जाता है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्रभावी जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तिगत शौचालयों की मांग का सृजन किया जाना है ताकि शौचालयों के निर्माण के उपरान्त उनका उपयोग हो तथा व्यक्तियों में स्वच्छ आदतें भी विकसित हों।

1. आई0ई0सी0 गतिविधियां

सूचना, शिक्षा एवं संचार इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है। ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता के सृजन के दृष्टिकोण से आई0ई0सी0 गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। उसमें ग्रामीण जनता की सम्पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेरकों को आई0ई0सी0 के लिए मात्राकृत धनराशि से प्रोत्साहन की धनराशि दी जाती है। प्रोत्साहन की धनराशि प्रेरक की परफार्मेन्स पर आधारित होगी और इस हेतु प्रेरक द्वारा ग्राम वासियों को इस हद तक प्रेरित किया जायेगा कि वह शौचालय का पूर्ण निर्माण कराने के उपरान्त उसका प्रयोग भी करें तथा साफ-सफाई रखें।

2. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण

शासनादेश दिनांक 25 अगस्त 2004 द्वारा व्यक्तिगत शौचालय की ईकाई लागत रू0 625 से बढ़कर रू0 1900 की गयी। गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को रू0 900 केन्द्रांश तथा रू0 300 राज्यांश कुल रू0 1200 अनुदान के रूप में तथा रू0 300 ग्राम पंचायत द्वारा विशेष प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है और रू0 400 लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। कुल लक्ष्य के 10 प्रतिशत के समतुल्य गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए भी व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु रू0 1500 विशेष प्रोत्साहन के रूप में लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है। विगत चार वर्षो में निर्माण सामग्री के मूल्यों में हुई वृ(ि और भारत सरकार द्वारा प्रति शौचालय प्रोत्साहन धनराशि रू0 900/- से बढ़ाकर रू0 1500/-रू0 कर दिये जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओ के समस्त बी0पी0एल0 परिवारों के लिए रू0 4940/- की इकाई लागत से शौचालय निर्माण कराया जायेगा, जिसका फंडिंग पैटर्न निम्नवत् हैः-

केन्द्रांश	ः	1500
राज्यांश तथा विशेष प्रोत्साहन	:	3040
लाभार्थी का अंश	ः	400
योग-	ः	4940/-

3. सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स

कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्स का निर्माण किया जा सकता है, परन्तु इसके रख-रखाव के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। सामुदायिक शौचालय का निर्माण केवल उन ग्राम पंचायतों में किया जा सकता है जहां या तो बाजार, मेला आदि लगता हो या कई परिवारों के पास शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न हो।

4. स्कूल स्वच्छता एवं आंगनवाड़ी स्वच्छता

ग्राम की स्वच्छता प्राथमिक विद्यालयों से ही प्रारम्भ की जायेगी। बच्चों मेंे नये विचारों के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण उन्हें स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करने एवं शिक्षित करने में विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग इकाईयों का निर्माण कराया जाता है। शौचालयों के निर्माण में विद्यालय के प्राधानाध्यापक एवं अभिभावकों की भी सहभागिता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्कूल शौचालयों के निर्माण के उपरान्त उसके रख-रखाव का दायित्व भी सम्बन्धित विद्यालय का है। एक शौचालय की लागत रू0 20,000/- निर्धारित है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में बाल मैत्रिक शौचालय बनाने का प्राविधान किया गया है जिसकी ईकाई लागत रू0 5000/- है।

5. विशेष प्राविधान

कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए व्यक्तिगत शौचालयों का कम से कम 25 प्रतिशत अंश अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु मात्राकृत किया गया है।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान - प्रगति

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रदेश में वर्ष 1999-2000 से भारत सरकार के वित्त पोषण से संचालित किया जा रहा है जिसमें लगभग 63 प्रतिशत केन्द्रांश, 23 प्रतिशत राज्यांश तथा 14 प्रतिशत लाभार्थी/पंचायत अंश सम्मिलित है। योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों को चयनित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा उक्त पैर्टन को संशोधित करते हुये केन्द्रांश 58 प्रतिशत राज्यांश 31 प्रतिशत तथा लाभार्थी/पंचायत अंशं 11 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत परियोजना प्रारम्भ से माह मार्च, 2009 तक भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में रू0-94959.00 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश एवं प्रोत्साहन के रूप में रू0-79283.00 लाख अवमुक्त किया गया। इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि रू0-174242.00 लाख से माह मार्च, 2009 तक रू0-143413.00 लाख

व्यय कर कुल 10044971 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जिसमें से बी0पी0एल0 परिवारों के लिये 4935677 व्यक्तिगत शौचालय तथा ए0पी0एल0 परिवारों के लिये 5109294 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। उक्त के अतिरिक्त 2275 सामुदायिक ;महिलाद्ध शौचालय काम्पलेक्स एवं 214674 स्कूल शौचालयों तथा 64424 आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

हैण्डपम्पों की मरम्मत-

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों के रखरखाव एवं उसमें होने वाली अस्थाई खराबियों की मरम्मत हेतु ग्राम पंचायतों को अप्रैल, 2002 से उत्तरदायी बनाया गया है। इस प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतें केन्द्रीय बारहवें एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि का उपयोग कर सकती हैं।

सरकार की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2008-09 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों की मरम्मत का अभियान चलाकर ग्राम पंचायतों में स्थापित 17,22,371 हैण्डपम्पों में से मार्च, 2009 तक कुल 140407 अस्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कराई गयी है। अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत एक सप्ताह में कराने के निर्देश ग्राम पंचायतों को दिये गये हैं।

डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना-

ग्राम पंचायतों की आबादी में निर्मित कराये जाने वाले खड़न्जा एवं नालियों की प्रति वर्ष मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता और इस पर व्यय होने वाली अत्यधिक धनराशि तथा इनकी सफाई व जल निकासी की निरन्तर बनी रहने वाली समस्या के दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि खड़न्जा एवं नाली निर्माण के स्थान पर सी0सी0 रोड और पक्की नाली का निर्माण कराया जायेगा। प्रथम चरण में वर्ष 2007-08 तथा वर्ष 2008-09 के लिए चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में से 1438 ग्राम सभाओं में सी0सी0 रोड व पक्की नाली का निर्माण कराया जा रहा है। इन डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में दो राजस्व ग्रामों को मानक इकाई मानकर कुल औसत लम्बाई 4.5 किमी0 की लागत रू0 139.63 लाख निर्धारित की गयी है जिनमें तालाब/नाला ;दो गांवो के आधार परद्ध तक जोड़ने के लिए आबादी के बाहर औसतन 200 मी0 पक्की नाली का निर्माण भी सम्मिलित है। इस प्रयोजन हेतु रू0 1996.70 करोड़ अवमुक्त कर दिया गया है जिसमें से माह मार्च, 2009 तक रू0 1545.82 करोड़ का व्यय किया जा चुका है और 1168

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2009-10 में इस प्रयोजन हेतु रू0 1242.00 करोड़ का प्रावधान है जबकि वर्ष 2009-10 में 3645 डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में सी0सी0 रोड व पक्की नाली का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

किसान बाजारों तथा पशुहाटो का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण-

वर्ष 2004-05 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों मं नई योजना के रूप में किसान बाजार एवं पशुहाटों को चयनित कर विकसित करने की योजना प्रारम्भ की गयी है। चयन मेंं सबसे अधिक वार्षिक अवक-जावक ;टर्न ओवरद्ध एवं अधिक से अधिक दिन लगने वाली हाटपैठौ को वरीयता दी जाती है। केवल ऐसी हाटपैठों एवं पशुपैठो को चयनित किया जाता है जो पंचायत की भूमि पर लगती हों। निर्माण लागत का 10 प्रतिशत अंश सम्बन्धित पंचायत द्वारा शेष 90 प्रतिशत योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से वहन किया जाता है।

वर्ष 2004-05 में प्राविधानित धनराशि रू0 4275.00 लाख के सापेक्ष 696 किसान बाजारों एवं 26 पशुहाटों तथा वर्ष 2006-07 में प्राविधानित धनराशि रू0 180.00 लाख के सापेक्ष 25 किसान बाजारों एवं 5 पशुहाटो का निर्माण कराया गया है।

वर्ष 2007-08 में रू0 348.00 लाख का प्राविधान है जिससे 52 किसान बाजरों एवं 04 पशुहाटों का निर्माण कराया जाना था। इसमें से 08 किसान बाजारों तथा एक पशुहाट का निर्माण पूर्व में ही हो चुका है।

वर्ष 2008-09 में इस योजना के लिये रू0 148.61 लाख का प्राविधानित किया गया है जिससे 22 किसान बाजारों तथा 02 पशुहाटों का निर्माण कराया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत नाली का निर्माण-

विभाग द्वारा वर्ष 2006-07 से इस नई योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया है। योजनान्तर्गत भूमिगत नाली की प्रति किमी0 लागत लगभग रू0 1.65 लाख है, जिसमें 10

प्रतिशत अंश ग्राम पंचायत/लाभार्थी का होता है। निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाता है। वर्ष 07-08 में रू0 4000.00 लाख का प्राविधानित था जिसके सापेक्ष रू0 2246.810 लाख का व्यय करके 701.00 किमी भूमिगत नाली निर्माण कराया गया है।

वर्ष 2008-09 में रू0 3209.64 लाख प्रावधानित है। जिसके सापेक्ष माह मार्च, 2009 तक 1311.15 लाख अवमुक्त किया गया है जिसके सापेक्ष 952.15 लाख का व्यय करके इस योजनान्तर्गत 577.00 रनिंग मीटर भूमिगत नाली निर्माण कराया गया है।

बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण

ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत् रखते हुए पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता । वर्तमान में एक पंचायत भवन की लागत रू0 3.16 लाख हैं जिसमें 10 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायत का होता है। भवन में एक बैठक हाल, दो कार्यालय कक्ष, कर्मी आवास, बरामदा व शौचालय खण्ड का निर्माण होता है। निर्माण ग्राम पंचायतें स्वयं करती हैं।

पंचायत भवन का मानक निम्नवत् हैः-

1-	बरामदा	6.33 ग् 2.40 मीटर	= 15.192 वर्गमीटर
2-	सभाकक्ष	4.50 ग् 6.05 मीटर	= 27.225 वर्गमीटर
3-	कार्यालय कक्ष-दो	3.05 ग् 3.65 मीटर	= 11.132 वर्गमीटर
4-	कर्मी आवास शौचालय सहित	4.50 ग् 3.05 मीटर	= 13.725 वर्गमीटर
5-	टायलेट ब्लाक	2.25 ग् 1.50 मीटर	= 3.375 वर्गमीटर

01.04.2008 तक 52000 ग्राम पंचायतांे में से 28984 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा चुका था। इसके उपरान्त वित्तीय वर्ष 2008-09 में 2100 पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि

- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतीराज संस्थाओं को आवंटित धनराशि राज्य के करों से होने वाली शु(आय का 5 प्रतिशत हिस्सा त्रिस्तरीय पंचायतों को परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष आवंटित किया जाता है।
- प्रतिवर्ष आवंटित धनराशि में से 70 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायतों को 20 प्रतिशत धनराशि जिला पंचायत को तथा 10 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायतों को अंतरित की जाती है।
- ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को उनकी कुल जनसंख्या पर 70 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की जनसंख्या पर 10 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल के आधार पर 20 प्रतिशत के मानक के अनुसार आवंटित की जाती है।
- ग्राम पंचायतों में लैम्प पोस्टों के रखरखाव हेतु उक्त धनराशि से प्रतिवर्ष धनराशि ग्राम पंचायत में स्थापित विद्युत खम्भों के अनुपात के आधार पर आवंटित की जाती है।

12वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि-

- 12 वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतीराज संस्थाओं को प्रतिवर्ष कुल आवंटित धनराशि में से 70 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायतों को 20 प्रतिशत धनराशि जिला पंचातय को तथा 10 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायतों को अंतरित की जाती है।
- यह धनराशि पंचायतों द्वारा पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं के संचालन एवं नागरिक सुविधाओं के अनुरक्षण पर व्यय की जाती है।